

डिक्री

(आ० 20 नियम 6 / जा०दी०)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाड़ा राजस्थान
वईजलास श्री मनोज (आ०१०१०१०)

अनवान प्रकरण

श्री राजुनाथ डा० श्री शिवनाथ योगी निवासी अमरगढ़ तहसील - माण्डल

वादी

बनाम

श्री मैत्री डा० श्री रेवमा गाडरी निवासी अमरगढ़ तहसील - माण्डल
श्री हिराज डा० श्री रेवमा गाडरी निवासी अमरगढ़ तहसील - माण्डल
श्री राजस्थान राज्य जरी तहसीलदार माण्डल तहसील - माण्डल

प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 53, 54 मुकदमा नं० / वर्ष 64/23 निर्णय दिनांक 03.09.24
यह मुकदमा अज अदालत वाद इनफिसल कतई स्वरूप अदालत व हिजरी वकील वादी
मिनजानिब मुददई व श्री पवन कुमार शर्मा मन्लाभिव मुदावला पेश होकर हुक्म
दिया जाता है कि डिक्री दी जाती है कि अतः वादी का वाद पत्र स्वीकार किया
जाकर डिक्री बहस वादी ऐप प्रतिवादी सं. 1 व 2 में इस आशय की जारी की
जाती है कि ग्राम अमरगढ़ पटवार हल्का अमरगढ़ तहसील माण्डल में स्थित
निम्नोक्ति आराजियात विभाजन अनुसार वादी ऐप प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम
हक हिस्से अनुसार अमि को राजस्व रेकार्ड में दर्ज किये जाने का आदेश
दिया जाता है उसी अनुसार वादी ऐप प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम हक
हिस्से अनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज की जावे।

1. श्री राजुनाथ डा० श्री शिवनाथ योगी शा. देह स्वातेदार
आरामी नं. रफवा
1367/L 0.1391 है०

आज तारीख 03.09.24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी
माण्डल जिला भीलवाड़ा

② श्री गोकुल डाल श्री ज्योत्सना 1/2, श्री होरा डाल श्री सेमा 1/2 गाडरी
आ. देह ब्यातेदार


आराजी नं.

1367/2

रकबा

0.1391 हेक्टर

उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम एक
हिस्ट्रीअनुसार राजस्व रेकार्ड में दर्ज किया जावे। तहसीलदार
भाण्डल उक्तानुसार भूमि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 व 2 के नाम
राजस्व रेकार्ड में डायल दायमद करे। शतर्था करिफेन अपना
अपना वलन करे।


उपखण्ड अधिकारी
भांडल जिला भीलवाड़ा